

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कैमूर (भभुआ), नवादा, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, पं०  
चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, खगड़िया, कटिहार, नालंदा, बक्सर एवं सहरसा।

पटना, दिनांक- 6.3.2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय  
स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय  
शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 5,36,97,000/-  
(पाँच करोड़ छत्तीस लाख संतानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-  
अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में  
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 5,36,97,000/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख संतानवे हजार  
रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों  
के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही  
किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं  
व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई  
आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये  
ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से  
किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत  
आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के  
औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान  
सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना  
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी  
नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।

13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

  
06/03/19

(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्वीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कैमूर (भभुआ), नवादा, सीतामढी, पूर्वी चम्पारण, पं०  
चम्पारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सारण, खगड़िया, कटिहार, नालंदा, बक्सर एवं सहरसा।

पटना, दिनांक- 2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001- अनुमंडलीय  
स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय  
शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 5,36,97,000/-  
(पाँच करोड़ छत्तीस लाख संतानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-094-अन्य स्थापनाएँ-0001-  
अनुमंडलीय स्थापना (विपत्र कोड-33-2053000940001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में  
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹ 5,36,97,000/- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख संतानवे हजार  
रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों  
के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही  
किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं  
व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई  
आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये  
ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से  
किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत  
आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के  
औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान  
सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना  
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी  
नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।


13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2018 सा0-.....51...../ पटना, दिनांक- 6/3/2019  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
6/3/19

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय
	कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		06 01	11 01	13 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिवान	25,00,000	2,50,000	2,00,000	1,00,000	10,000	30,60,000	30,000	0	10,00,000
2	पूर्णिया	25,00,000	5,00,000	1,50,000	0	10,000	31,60,000	0	1,00,000	0
3	अररिया	10,30,000	2,00,000	4,25,000	1,00,000	0	17,55,000	0	2,00,000	12,00,000
4	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00,000
5	कैमूर (ममुआ)	10,50,000	90,000	45,000	25,000	0	12,10,000	50,000	15,000	0
6	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00,000
7	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	15,00,000
8	पू०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	5,00,000	60,000	10,00,000
9	प०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	45,000	10,00,000
10	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	1,10,000	5,00,000
11	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	75,000	15,00,000
12	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	6,00,000
13	सारण	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	15,00,000
14	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	50,000	15,00,000
15	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	50,000	15,00,000
16	नालंदा	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00,000
17	बक्सर	7,50,000	50,000	25,000	30,000	5,000	8,60,000	0	20,000	2,00,000
18	सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	8,00,000
	कुल योग -	78,30,000	10,90,000	8,45,000	2,55,000	25,000	100,45,000	5,80,000	11,25,000	174,00,000

contd....

सरकार के उप सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनाएं-0001-अनुमण्डलीय स्थापना) आवंटन:-

पृष्ठ-2/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वा0 का ई0 एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रसार	वर्दी/ पोशाक	माड़े की गाड़ी का भुगतान	किराया, महसूल एवं कर	प्रकाशन एवं मुद्रण	प्रशिक्षण व्यय	संविदा सेवाएँ	कुल
		13 02	13 03	13 04	13 06	13 10	14 01	16 01	20 03	28 02	
		12	13	14	15	16	17	19	20	21	
1	सिवान	3,00,000	1,00,000	4,00,000	0	4,00,000	0	0	0	1,00,000	53,90,000
2	पूर्णिया	4,00,000	0	0	10,000	0	0	0	0	1,00,000	37,70,000
3	अररिया	6,00,000	1,50,000	30,00,000	30,000	0	0	0	0	2,00,000	71,35,000
4	किशनगंज	6,00,000	50,000	0	0	0	0	7,000	0	0	26,57,000
5	कैमूर (भभुआ)	0	0	0	0	14,00,000	0	0	0	0	26,75,000
6	नवादा	6,00,000	1,00,000	50,000	10,000	2,50,000	0	0	0	2,00,000	20,10,000
7	सीतामढ़ी	5,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,00,000
8	पूंचम्पारण	5,00,000	1,00,000	6,00,000	1,00,000	0	0	0	0	0	28,60,000
9	पंचम्पारण	5,00,000	1,50,000	3,50,000	0	4,00,000	0	1,00,000	0	2,00,000	27,45,000
10	शिवहर	2,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,10,000
11	दरभंगा	6,00,000	2,00,000	2,50,000	40,000	0	0	0	0	2,00,000	28,65,000
12	मधुबनी	6,00,000	3,00,000	5,00,000	0	0	0	0	50,000	0	21,50,000
13	सारण	6,00,000	2,00,000	15,00,000	20,000	0	0	0	0	0	39,20,000
14	खगड़िया	6,00,000	1,00,000	7,00,000	0	0	6,00,000	0	0	0	35,50,000
15	कटिहार	5,00,000	1,50,000	1,40,000	1,50,000	0	0	0	0	2,00,000	26,90,000
16	नालंदा	3,00,000	2,00,000	2,00,000	15,000	2,00,000	3,00,000	0	0	0	20,15,000
17	बक्सर	3,00,000	0	1,00,000	15,000	1,00,000	10,000	0	0	0	16,05,000
18	सहरसा	6,00,000	2,00,000	5,50,000	50,000	2,50,000	0	0	0	2,00,000	27,50,000
कुल योग -		83,00,000	20,00,000	83,40,000	4,40,000	30,00,000	9,10,000	1,07,000	50,000	14,00,000	536,97,000

(पाँच करोड़ छत्तीस लाख सतानवे हजार रूपये) मात्र।

सरकार के उप सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग